

न्यायालया अनुविभागीय अधिकारी गोहरगंज जिला रायसेन

राजस्व प्रकरण क्रमांक/ 69 /अ-2/010-11

सुवर्ण सागर आ० विधा सागर

ड्रीम लैंड डेव्लपर्स प्रा० लि० डायरेक्टर संजय तिवारी आ० गोपाल

तिवारी, मधुतिवारी पत्नि गोपाल तिवारी

शशि वाला पत्नि राजेश अवस्थी

श्री प्रभाकर कन्स्ट्रक्शन कंपनी

द्वारा श्री अनिल कुमार जैन आ. बाबूलाल जैन भोपाल आवेदक

विरुद्ध

सर्व स्थापना अनावेदक

(आदेश पारित दिनांक 24.7.2011)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक मेसर्स प्रभाकर कन्स्ट्रक्शन कंपनी निवासी भोपाल ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मंडीदीप की भूमि खसरा नंबर 437/1/1/1/2, 438/3, 438/2, 438/4, 437/4, 438/1 437/1/1/1/3 रकबा 9.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 3.00, 2.00 एकड़ कुल रकबा 18.00 एवं खसरा नं० सुवर्ण सागर आ० विधा सागर ड्रीम लैंड डेव्लपर्स प्रा० लि० डायरेक्टर संजय तिवारी आ० गोपाल तिवारी, मधु तिवारी पत्नि गोपाल तिवारी शशि वाला पत्नि राजेश अवस्थी श्री प्रभाकर कन्स्ट्रक्शन कंपनी नाम भूमिस्वामी स्वामित्व पर अंकित है आवेदक फर्म द्वारा आवेदित भूमि पर कालोनी विकास हेतु भूमिस्वामी से अनुरोध पत्र संपादित कराया है जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न है अतः आवेदित भूमि 437/1/1/1/2 में से 1.00 एकड़ एवं 437/4 में से 1.00 एकड़ 437/1/1/1/3 में से 1.00 कुल 3.00 डायवर्सन व्यवसायिक प्रयोजन हेतु खसरा नंबर 437/1/1/1/2 रकबा 8.00 एकड़ खसरा नं० 438/3 में से 1.00 एकड़ 438/1 में से 1.00, 438/2 रकबा 1.00 एकड़ 438/4 रकबा 1.00, 437/4 में से 2.00 437/1/1/1/3 में से 1.00 एकड़ कुल 15.00 एकड़ आवासीय प्रयोजन हेतु कर दिया जावे ।

प्रकरण पंजीकृत किया जाकर । सहायक संचालक ग्राम तथा नगर निवेश से अभिमत प्रेषित किए जाने हेतु पत्र लिखा गया किन्तु उनके द्वारा कोई अभिमत प्रस्तुत नहीं किया गया । तो यह माना गया कि उन्हें उक्त डायवर्सन से कोई आपत्ति नहीं है ।

अधीक्षक भू अभिलेख से भू भाटक एवं प्रीमियम का गणना पत्रक प्राप्त किया उनके द्वारा अभिमत प्रेषित नहीं किये जाने पर राजस्व निरीक्षक मंडीदीप से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया ।

1-- भू भाटक - मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय के ज्ञाप दिनांक 17.1.06 के अनुसार आवासीय प्रयोजन हेतु प्रति 10 वर्गमीटर की 13/- रुपये की दर अनुसार कुल क्षेत्रफल 60705 वर्गमीटर पर आवासीय प्रयोजन हेतु रु 78916.00 भू भाटक निर्धारण योग्य है ।

- 734 -SDM REDADER

14
अधीक्षक भू अभिलेख
गोहरगंज

एवं व्यवसायिक प्रयोजन हेतु 20/-प्रतिवर्गमीटर की दर से कुल कुल क्षेत्रफल 12141वर्गमीटर पर रुपये 24481.00निर्धारण योग्य है ।

प्रीमियम :- प्रीमियम की गणना हेतु राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप दिनांक 24.1.2000 एवं कार्यालय कलेक्टर रायसेन के पत्र क्रमांक 237/17/भूअभिलेख / सहायकअधीक्षक/नजूल 2000 दिनांक 22.2.2002 के अनुसार आवासीय प्रयोजन हेतु 5.00 रुपये प्रतिवर्गमीटर की दर से कुल क्षेत्रफल 60705 वर्गमीटर पर 303525.00.00 प्रीमियम निर्धारण योग्य है एवं व्यवसायिक प्रयोजन हेतु कुल क्षेत्रफल 12141वर्गमीटर पर 10 रुपये प्रतिवर्गमीटर के मान से 121410.00 प्रीमियम निर्धारण योग्य है ।

प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज एवं राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर मंडीदीप की भूमि भूमि 437/1/1/1/2 में से 1.00 एकड़ एवं 437/4 में से 1.00 एकड़ 437/1/1/1/3 में से 1.00 कुल 3.00 डायवर्सन व्यवसायिक प्रयोजन हेतु खसरा नंबर 437/1/1/1/2 रकबा 8.00एकड़ खसरा नंबर 438/3 में से 1.00 एकड़ 438/1 में से 1.00 ,438/2 रकबा 1,00 एकड़ 438/4 रकबा 1.00 ,437/4 में से 2.00 437/1/1/1/3 में से 1.00 एकड़ कुल 15.00 एकड़ आवासीय प्रयोजन एवं 3.00 एकड़ व्यवसायिक प्रयोजन हेतु भू भाटक 103397.00 तथा.रु0424935.00 प्रीमियम निर्धारित किया जाकर निम्न शर्तों के अधीन किया जाता है ।

- 1-यह कि आवेदक मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 एवं 172 में निहित नियमों का पूर्ण करना अनिवार्य होगा ।
- 2- सहायक संचालक ग्राम तथा नगर निवेश विदिशा से निर्माण कार्य से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा ।
- 3-निर्माण के पूर्व स्थानीय निकाय से नियमानुसार अनुमति लेना अनिवार्य होगा
- 4- राष्ट्रीय राजमार्ग से 40 मीटर छोड़कर निर्माण कार्य किया जावे ।
- 5- वृक्षारोपण परिसर में किया जाना आवश्यक होगा ।
- 6- रूफ वाटर हारवेस्टिंग प्रणाली लगाना अपरिहार्य होगा ।
- 7- जल नल निकासी व्यवस्था स्वयं करना होगी ।
- 8-यह कि स्वत्व संबंधी विवाद होने या किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में यह आदेश स्वतः निरस्त हो जावेगा ।

अनुविभागीय अधिकारी

गोहरगंज
अनुविभागीय अधिकारी
गोहरगंज

प्रतिलिपि:-

- 1- तहसीलदार गोहरगंज की ओर आदेशानुसार अभिलेख दुरुस्त करने हेतु
- 2- राजस्व निरीक्षक मंडीदीप की ओर भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार अभिलेख संधारित करें ।
- 3- मेसर्स प्रभाकर कंन्स्ट्रक्शन कंपनी पार्टनर अनिल कुमार जैन आ0 श्री बाबूलाल जैन की ओर उपरोक्तानुसार राशि जमा करें ।